भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1085

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोयला खनन क्षेत्रों में पीएमएसएसवाई के तहत आवंटित धनराशि

†1085. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना के पेद्दापल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक कार्यबल और कोयला खनन समुदायों की सेवा करने वाले रामागुंडम में प्रस्तावित मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति और पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ख) कोयला खनन क्षेत्रों में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

(पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) ताप विद्युत और कोयला खनन श्रमिकों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रामागुंडम

मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए नियोजित क्षमता, विशेषज्ञता वाले विभागों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(घ) कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और आक्युपेशनल स्वास्थ्य विभागों जैसी सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के प्रावधान

सहित चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को प्रभावित करने वाली प्रक्रियात्मक या वित्तपोषण संबंधी देरी के समाधान सहित समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ) : भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने 20.09.2018 को तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए 100 बिस्तरों वाले नए ईएसआई अस्पताल की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की है। अस्पताल वर्तमान में निविदा प्रक्रिया में है। अनुमानित निर्माण अवधि कार्य सौंपे जाने के दो वर्ष बाद है।

अस्पताल ईएसआई लाभार्थियों को प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट परिचर्या चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। अस्पताल में आवश्यक विभाग जैसे सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, स्त्री रोग और प्रसूति, हड्डी रोग, नेत्र रोग, दंत चिकित्सा, बाल रोग आदि के साथ-साथ विभिन्न सहायक सेवाएं जैसे मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेन्ट (सीएसएसडी), मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम आदि से सुसज्जित होंगे। यह बहिरंग (ओपीडी) और अंतरंग (आईपीडी) दोनों प्रकार की परिचर्या प्रदान करेगा। ईएसआईसी में उपकरणों की खरीद का विकेंद्रीकरण किया गया है। डीन/चिकित्सा अधीक्षक की शक्ति के प्रत्यायोजन से परे या ईएसआईसी मानदंडों के बाहर के उपकरण, ईएसआईसी मुख्यालय द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। 15.12.2023 को आयोजित 192वीं निगम बैठक में अनुमोदित ईएसआईसी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए नए मानव संसाधन मानदंडों के अनुसार भर्ती की जाती है। 08.01.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसार, ईएसआईसी द्वारा यह अस्पताल चलाया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती/विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना करना और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी)/संस्थानों का उन्नयन करना । इस योजना के तहत, देश भर में 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और 75 सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए पीएमएसएसवाई योजना का बजट अनुमान 9839.00 करोड़ रुपये है।

*****